कार्यालय आयुक्त ... संभाग इन्दौर
श्री यशपाल राठौर ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 9-6-2016
को प्रस्तुत।

444/09.06.2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प
न्यायालय माननीय ~~आयुक्त महोदय इन्दौर सम्भाग~~ इन्दौर

अपील - 1058-अपील-16

अपील प्रकरण क /झाबुआ/16

प्रस्तुति दिनांक -6-16

अपीलार्थी ———————— 1. नितेश कुमार पिता राजेन्द्र कुमार बरबेटा
आयु 40 साल धन्धा व्यापार
निवासी पेटलावद जिला झाबुआ

बनाम

रेस्पाण्डेन्ट ———— म.प्र. शासन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47–ए–4 के अर्न्तगत प्रथम अपील

बनाराजगी श्रीमान कलेक्टर आफ स्टाम्पस झाबुआ जिला झाबुआ के द्वारा प्रकरण क 13–बी/–103/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 7.1.15 संसूचना दिनांक –2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील पीबीआर / 16 (नितेश / शासन)

जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2016	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 7–1–2015 की सत्य प्रतिलिपि का का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 9–6–16 को लगभग डेढ़ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि म0प्र0 मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु एक माह की समय सीमा निर्धारित है । इस प्रकार यह अपील प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और विलम्ब माफी के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश की संसूचना नहीं दिया जाना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक नहीं है, क्योंकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में ही आदेश पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 40(ख) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 47 के अन्तर्गत अपील प्रचलन योग्य नहीं है। अतः यह अपील प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने एवं विधिनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	